राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकारके अंतर्गत एक सांविधिक संस्था
A Statutory Corporation under Ministry of Cooperation, Govt. of India
क्षेत्रीय निदेशालय, बिहार Regional Directorate, Patna
NCDC Regional Directorate, Room No. 20-21, Second Floor, Block 'A', Maurya Lok Complex, Patna, Bihar - 800001
Phone No. +91-9311765346

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : श्री अनिरुद्ध सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
पता: क्षेत्रीय निदेशालय, कमरा न० 20-21, द्वितीय तल, ब्लाक – A, मौर्यालोक काम्प्लेक्स, पटना बिहार- 800001
दूरभाष संख्या : (0612-2221467), +91- 9311765346 ईमेल: ro.patna@ncdc.in

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी द्वारा बिक्री संबंधी सूचना, जो कि सुरक्षा हित नियम (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6) के परंतुक प्रावधान के साथ पठित है।

सामान्य जन को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, जो कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी हैं, द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/अभिभारित हैं, लिया जा चुका है। उक्त संपत्तियों को दिनांक 07.12.2026 को **"जहाँ है, जैसे है, जो कुछ है तथा बिना किसी प्रतिदाय के आधार पर"** ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, ताकि निम्न उल्लिखित उधारकर्ता संस्था, उसके अध्यक्ष एवं बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयों की वसूली की जा सके।

उधारकर्ता संस्था, निदेशकों एवं बंधककर्ता का नाम	**विक्रय/नीलामी हेतु सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण**		
उधारकर्ता: महुआ कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लि०, ग्राम एवं पोस्ट – मिर्जा नगर, थाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार **अध्यक्ष:** श्रीमती अर्चना सिंह (मो.) +91- 9931918294 **प्रबंधक:** श्री राजीव कुमार नयन, (मो.) +91- 9835490384	मौज़ा महुआ मुकंदपुर, जिला वैशाली में स्थित तथा महुआ उप-पंजीयन उप-जिला एवं जिला वैशाली के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि/भू-भाग के समस्त खंड एवं परिसर, जिनका विवरण निम्नानुसार है :		
	क्र०स०	रजिस्ट्री संख्या	क्षेत्रफल (एकड़)
	1	6726	0.39
	2	6759	0.39
	3	2916	0.12
	4	2915	0.06
	5	4213	0.07
	6	4211	$0.04^{1/2}$
	7	4212	$0.04^{1/2}$
	8	4423	$0.17^{1/2}$
	9	7321	0.06
	10	606	0.05
	11	7108	0.22
	12	7420	0.22
	13	9864	0.13
	14	1706	0.18
	15	2601	0.18
	16	3913	0.18
	17	15930	$0.04^{1/2}$
	18	578	$0.19^{1/2}$
		Total	$2.75^{1/2}$

	उक्त भूमि के साथ-साथ उस पर स्थित वर्तमान एवं भावी सभी प्रकार के भवन, जिनमें फैक्ट्री भवन, गोदाम, आवासीय क्वार्टर तथा अन्य सभी वर्तमान में निर्मित तथा भविष्य में निर्मित किए जाने वाले ढाँचे सम्मिलित हैं, तथा उक्त भूमि पर स्थापित या स्थापित किए जाने वाले समस्त संयंत्र एवं मशीनरी, जो भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा किसी ऐसी वस्तु से स्थायी रूप से संलग्न हैं जो स्वयं भूमि से जुड़ी हुई है।
मांग सूचना की तिथि एवं राशि	मांग सूचना दिनांक 05.01.2023 के अनुसार 05.01.2023 की स्थिति में राशि ₹28,71,21,613/- (जिस पर आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होंगे)। दिनांक 15.10.2026 तक उधारकर्ता द्वारा एनसीडीसी के प्रति बकाया वर्तमान राशि ₹39,42,80,161/- है, जिस पर आगे भी ब्याज एवं अन्य प्रभार देय होंगे।
□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□	09.07.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
□□□□□□□ □□□□□	₹26,82,59,190/- (केवल रुपये छब्बीस करोड़ बयासी लाख उनसठ हजार एक सौ उन्नीस मात्र)
□□□□□ □□□□ (□.□□.□□.)	₹2,68,25,919/- (केवल रुपये दो करोड़ अडसठ लाख पच्चीस हज़ार नौ सौ उन्नीस रूपए मात्र)
□□□□ □□□□□□ □□□□□	₹10,00,000/- (केवल रुपये दस लाख मात्र)
□–□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□	07.12.2026, दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक।
□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□	01.12.2026, प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।
□□□□□□ □□□□□□/□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ https://sarfaesi.auctiontiger.net □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ **5** □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□	

□□□□ □□□ □□□□□□

1. सुरक्षित परिसंपत्तियों का विक्रय "जहाँ है, जैसे है, जो कुछ है तथा बिना किसी प्रतिदाय के आधार पर" किया जाएगा तथा आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, इच्छुक बोलीदाता विक्रय का विवरण, नियम एवं शर्तें, बोली प्रपत्र तथा बोली प्रक्रिया की जानकारी उपर्युक्त पते/संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी में भाग लेने पर, बोलीदाता परिसंपत्ति की स्थिति, विवरण या स्वामित्व संबंधी सभी आपत्तियों का परित्याग करेंगे।
3. बोलीदाता सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित अधिकार, स्वामित्व, हित, भार (Encumbrances) एवं देयों के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लें। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. सशर्त बोली अमान्य मानी जाएगी। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार ज्ञात नहीं है; तथापि बोलीदाता स्वतंत्र रूप से जांच करें। यह ई-नीलामी सूचना एनसीडीसी का कोई अभ्यावेदन नहीं है। परिसंपत्तियाँ सभी वर्तमान एवं भावी ज्ञात/अज्ञात भारों सहित विक्रय की जा रही हैं। किसी तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/देयों हेतु प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण शुल्क एवं अन्य सभी व्यय खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे।
7. सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी सांविधिक एवं गैर-सांविधिक देयताएँ, कर, दरें, शुल्क आदि खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. बोलीदाता ऑनलाइन बोली प्रशिक्षण/सहायता हेतु M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger) से संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत नियम https://sarfaesi.auctiontiger.net तथा https://www.ncdc.in पर उपलब्ध हैं।

9. ईएमडी एवं केवाईसी दस्तावेज दिनांक 04.12.2026 को सायं 06:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाने चाहिए।
10. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए तथा वृद्धि ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) के गुणकों में होगी।
11. ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से खाता नाम: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम खाता संख्या 32164052874, IFSC: SBIN0004298, भारतीय स्टेट बैंक, कमर्शियल शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
12. सफल बोलीदाता ई-नीलामी में उद्धृत अंतिम बोली राशि बिना किसी नई शर्त को जोड़े जमा करेगा। बोली राशि का 25% (बयाना राशि अर्थात् ईएमडी सहित) उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक निर्धारित बैंक संग्रह खाते में जमा किया जाएगा। खाते का विवरण निम्नानुसार है: खाता संख्या: 32164052874, आईएफएससी कोड: SBIN0004298, बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, खाताधारक का नाम: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। निर्धारित समय-सीमा के भीतर 25% राशि जमा न करने की स्थिति में, बिना किसी सूचना के बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमत अवधि में जमा करनी होगी। अन्यथा जमा संपूर्ण राशि जब्त कर परिसंपत्ति बिना किसी सूचना के पुनः नीलाम की जाएगी।
14. विक्रय की पुष्टि संबंधी सूचना केवाईसी सत्यापन एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत जारी किया जाएगा। जब्ती की स्थिति में चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति या जब्त राशि पर कोई दावा नहीं होगा।
15. ईएमडी की वापसी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के बाद होगी तथा ब्याज के अतिरिक्त लागत, व्यय एवं अन्य प्रभार भी देय नहीं होंगे।
16. विक्रय प्रमाणपत्र पूर्ण भुगतान एवं विक्रय पुष्टि के पश्चात केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा, किसी अन्य के नाम पर नहीं। ।
17. विक्रय सरफेसी अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगा।
18. सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नीलामी स्थगित/निरस्त होने पर क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा।
19. बोली, बयाना राशि (ईएमडी), पात्रता अथवा शर्तों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपने विवेकानुसार बिक्री निरस्त करने तथा संपत्ति की पुनः ई-नीलामी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. केवल इच्छुक बोलीदाता अथवा उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को बोली के साथ प्राधिकरण पत्र देना अनिवार्य है।
21. उधारकर्ता संस्था, उसके निदेशक एवं बंधककर्ता भी नीलामी में भाग ले सकते हैं।
22. विक्रय प्राधिकृत अधिकारी की पुष्टि के अधीन होगा।
23. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा नीलामी स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. सफल बोलीदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के अंतर्गत 1% टीडीएस का प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

वैधानिक सूचना

नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिवस की विक्रय सूचना के रूप में उधारकर्ता/निदेशक/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त राशि ब्याज एवं अन्य व्ययों सहित ई-नीलामी की तिथि से पूर्व जमा करें, अन्यथा परिसंपत्तियों की नीलामी कर शेष राशि की वसूली की जाएगी।

विशेष निर्देश एवं सावधानी

बोलीदाता अंतिम समय में बोली लगाने से बचें। इंटरनेट/बिजली विफलता आदि के लिए एनसीडीसी या सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे। अतः बोलीदाता आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएँ (जैसे बैकअप पावर आदि) सुनिश्चित करें ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

हस्ताक्षर/-

दिनांक: 10.11.2026
स्थान: **पटना**
पटना
सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम